

बिहार सरकार,  
कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग

कल्प

विषय— सेवा निवृत्त राज्य न्यायिक सेवा के पदाधिकारियों को घरेलू सहायता भत्ता के रूप में रु 1250/- (एक हजार दो सौ पचास) प्रतिमाह दिनांक 01-11-99 के प्रभाव से देने के संबंध में ।

शेड्यूलि आयोग की अनुशंसा एवं माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 21-03-2002 एवं 25-11-2002 को पारित न्यायादेश में राज्य न्यायिक सेवा के सेवा निवृत्त पदाधिकारियों को रु 1250 /- (रु एक हजार दो सौ पचास) प्रतिमाह घरेलू सहायता भत्ता प्रमाण पत्र के आधार पर दिनांक 01-11-99 के प्रभाव से दिये जाने का निर्देश था ।


2. राज्य सरकार ने सम्यक् विचारोपरांत राज्य के सेवा निवृत्त न्यायिक सेवा के पदाधिकारियों को घरेलू सहायता भत्ता के रूप में रु 1250 /- (रु एक हजार दो सौ पचास) प्रतिमाह प्रमाण पत्र के आधार पर दिनांक 01-11-99 के प्रभाव से देने का निर्णय लिया है ।

3 उक्त भत्ता का भुगतान " मुख्य शीर्ष --2071--पेंशन तथा अन्य सेवा निवृत्त हितलाभ उप मुख्यशीर्ष 01--सेविंग, लघु शीर्ष--800, अन्य व्यय, उप शीर्ष--0002 सेवा निवृत्त राज्य न्यायिक सेवा के पदाधिकारियों को घरेलू सहायता भत्ता" शीर्ष से होगा ।

4. इसमें वित्त विभाग की सहमति प्राप्त है ।

आदेश:— आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में सर्वसाधारण की जानकारी हेतु प्रकाशित किया जाय और उसकी प्रतियाँ सभी संबंधित विभागों /विभागाध्यक्षों/महानिबंधक उच्च न्यायालय, पटना/महालेखाकार, बिहार, पटना/सभी जिला एवं सत्र न्यायाधीश/बिहार लोक सेवा आयोग/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी/सभी कोषागार पदाधिकारी/सभी उप कोषागार पदाधिकारी/वित्त (वै०दा०नि०क्र०) विभाग, बिहार,पटना को भेजी जाय ।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

  
(आमिर सुबहानी)  
सरकार के सचिव

ज्ञापक-7/स्थ-1-1-10/03का0.13040/पटना-15,दिनांक 26.12.20

प्रतिलिपि- अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना का बिहार राजपत्र के अगले असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित ।

2 उनसे अनुरोध है कि राजपत्र की 200 अतिरिक्त प्रतियाँ इस विभाग को भी यथाशीघ्र उपलब्ध करायी जाय ।

(सचिव) \_\_\_\_\_  
26-12-20

सरकार के सचिव ।

ज्ञापक-7/स्थ-1-1-10/03का0.13040/पटना-15,दिनांक 26.12.20 6

प्रतिलिपि- महालेखाकार, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्याथ प्रेषित ।

(सचिव) \_\_\_\_\_

सरकार के सचिव । 26.12.20

ज्ञापक-7/स्थ-1-1-10/03का0.13040/पटना-15,दिनांक 26.12.20 6

प्रतिलिपि- सभी आयुक्त एवं सचिव/सभी विभागाध्यक्ष/महानिबंधक, उच्च न्यायालय, पटना/सभी जिला एवं सत्र न्यायाधीश/सचिव विधे विभाग/ आयुक्त एवं सचिव, वित्त विभाग/महाधिवक्ता, बिहार, पटना/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी/वित्त (वै0वा0नि0को0) विभाग, बिहार, पटना/सभी कोषागार पदाधिकारी/सभी उप कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्याथ प्रेषित ।

(सचिव) \_\_\_\_\_

सरकार के सचिव । 26-12-20 6